पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट को दिनांक 08.01.2024 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा0दी0, धारा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा0दी0 बाबत कथन किया कि वादग्रस्त आराजीयात खसरा संख्या 4985/1396 रकबा 274 वर्गमीटर वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन किए जाने के आदेश दिये गए है व राजस्व अभिलेख जमाबंदी सम्वत 2073 से 2076 में खसरा नम्बर संख्या 4985/1396 रकबा 631 वर्गमीटर वाणिज्यिक प्रर्योजनार्थ का अंकन किया गया है। उक्त अनुपालना में वादग्रस्त आराजीयात को अन्यत्र हस्तांन्तरित किया जा रहा है व अपीलांट की खातेदारी की आराजी को खुर्द–बुर्द किया जा रहा है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान भू–राजस्व ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि भूमि के लिए सपरिवर्तन नियम 2007 के नियम 9 (3)(4)(6) अधिसूचना के तहत अकृषि प्रयोजनार्थ सपरिवर्तन किए जाने बाबत आदेश पारित किये गए है, जो कि प्रथम दृष्टया ही न्यायिक प्रक्रिया के विपरित निहित क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग करते हुए अपीलांट की खातेदारी की आराजी बाबत आदेश पारित किये जाने से निरस्त योग्य है। संपरिवर्तनशुदा आराजीयात की खातेदारी की आराजीयात रही है, जिसके हितों की रक्षार्थ माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थी ग्रामवासियान द्वारा अपील प्रस्तुत की जा रही है। अतः प्रार्थी ग्रामवासियान को आक्षेपित निर्णय के विरूद्ध अपील पेश करने की अनुमति दिया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय विहित प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के आदेश दिनांक 07.06.2023 के विरूद्ध माननीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावें।

तत्पश्चात अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित कथनों को दौहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात बाबत अवैधानिक रूप से नियमों के विपरित जहां उक्त आराजीयात पर तालाबी द्वितीय किस्म की आराजीयात को दर्शाया नहीं जाकर राजस्व नक्शा प्रस्तुत किया गया है, जिस बाबत तालाबी भूमि पर निर्माण किये जाने के उद्देश्य से संपरितर्वन आदेश जारी कराया गया है व आक्षेपित आदेश की आड में मौके पर अपीलांट की खातेदारी की आराजीयात पर वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ (दुकानात) बनाए जाने की कार्यवाही हाल ही में दिनांक 04.01.2024 को आक्षेपित आदेश की प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया एवं प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर जानकारी की दिनांक से अन्दर मियाद उक्त अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है।अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ताफैसला अपील अधीनस्थ न्यायालय विहित प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा पारित सपरिवर्तन आदेश दिनांक 07.06.2023 के विरूद्ध अपील प्रस्तुती की देरी को कण्डोन कर अपील का निस्तारण गुणावगुण पर किये जाने के आदेश न्यायहित में जारी फरमावें।

अंत में अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र स्थगन बाबत कथन किया कि वादग्रस्त आराजीयात खसरा नम्बर 4985/1396 जो कि आक्षेपित आदेश से संपरिवर्तन की गई है, प्रस्तुत राजस्व अभिलेख जमाबंदी एवं मौका नक्शा अनुसार अपीलांट की खातेदारी की आराजी से चिपती हुए आराजी रही हे जिस पर बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किए, बिना नोटिस जारी किये संपरिवर्तन कराए जाने की अधिकारिता नही रही है, इसके बावजूद राजस्व अभिलेख का अवलोकन किए बिना एकमात्र तहसीलदार की विरोधाभासी रिपोर्ट के आधार पर उक्त आराजीयात बाबत संपरिवर्तन आदेश पारित किये जाने में त्रुटि की गई है, जो कि निरस्त किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की क्रियान्विति को स्थगित कर वादग्रस्त आराजीयात के मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति को कायम नही किया जाता है, तो आक्षेपित आदेश की आड में अप्रार्थी द्वारा वादग्रस्त आराजीयात को आवासीय प्रयोजनार्थ प्लाटिंग कर अन्यत्र रहन, बय, मुंतकिल कर दिया जावेगा, जिससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति कारित होगी। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ताफैसला अपील अधीनस्थ न्यायालय विहित प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा पारित आदेश दिनांक

29.1.2024
राजस्व अपील प्राधिकारी
मसूदा

07.06.2023 की क्रियान्विति को स्थगित कर वादग्रस्त आराजीयात के मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश न्यायहित में जारी फरमावें। अप्रार्थी को पाबंद किया जावे कि वह वादग्रस्त आराजीयात को रहन, बय, मुंतकिल नहीं करें।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 का अवलोकन किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार विवादित खसरा नम्बर 4985/1396 ग्राम खरवा में स्थित है। उक्त खसरा नम्बर में 274 वर्गमीटर भूमि वाणिज्यक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन किए जाने के आदेश दिए गए है, व राजस्व अभिलेख संवत 2073–2076 की जमाबंदी में उक्त खसरा नम्बर 4985/1396 रकबा 631 वर्ग मीटर वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ अंकन किया गया है। उक्त अनुपालना में वादग्रस्त आराजीयात को अन्यत्र स्थानांतरित किया जा रहा है व अपीलांट की खातेदारी की आराजीयात को खुर्द बुर्द किया जा रहा है। उक्त अपीलाधीन आदेश नियमों के विपरीत जाकर दिया हुआ है। जिसे निरस्त किया जाना उचित है। अतः प्रार्थी ग्रामवासियान को आक्षेपित निर्णय के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए।

प्रार्थी अपीलांट द्वारा धारा 5, स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। न्यायालय सर्वप्रथम प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत 96 के प्रार्थना पत्र का निर्णय करना उचित समझता है। प्रार्थना पत्र के अनुसार संपरिवर्तन आदेश की पालना में वादग्रस्त आराजीयात को अन्यत्र स्थानांतरित किया जा रहा है व अपीलांट की खातेदारी की आराजीयात को खुर्द बुर्द किया जा रहा है, तथा आगे अंकन किया है कि संपरिवर्तनशुदा आराजीयात खातेदारी की आराजीयात रही है जिसके हितों की रक्षा हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थी ग्रामवासियान द्वारा अपील प्रस्तुत की जा रही है अतः प्रार्थी ग्रामवासियान को आक्षेपित निर्णय के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दिया जाना न्यायोचित है। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थी को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे। सीपीसी का अवलोकन किया गया आदेश 1 नियम 8 में निम्नानुसार अंकन किया हुआ है। एक ही हित में सभी व्यक्तियों की ओर से एक व्यक्ति वाद ला सके या प्रतिरक्षा कर सके।

1. जहां एक ही वाद में एक ही हित रखने वाले बहुत से व्यक्ति है। वहा–
   क. इस प्रकार हितबद्ध सभी व्यक्ति वाद ला सकेंगे या उनके विरूद्ध वाद लाए जा सकेंगे या वे ऐसे वाद में प्रतिरक्षा कर सकेंगे,
   ख. न्यायालय यह निर्देश दे सकेगा कि इस प्रकार हितबद्ध सभी व्यक्तियों की ओर से या उनके फायदे के लिए ऐसे व्यक्तियों में से एक या अधिक व्यक्ति वाद ला सकेंगे या उनके विरूद्ध वाद लाए जा सकेंगे या वे ऐसे वाद में प्रतिरक्षा कर सकेंगे।
2. न्यायालय ऐसे प्रत्येक मामले में जहां उपनियम (1) के अधीन अनुज्ञा या निर्देश दिया गया है, इस प्रकार हितबद्ध सभी व्यक्तियों को या तो वैयक्तिक तामिल कराकर या जहा व्यक्त्यिों की संख्या या किसी अन्य कारण से ऐसी तामिल युक्तियुक्त रूप से साध्य नहीं है वहां लोक विज्ञापन द्वारा जैसा भी न्यार्यालय हर एक मामले में निदिष्ट करे वाद के संस्थित किए जाने की सूचना वादी के खर्चे पर देगा।

अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध अपीलांट यह कहकर आया है कि वह ग्रामवासियान की तरफ से अपील प्रस्तुत कर रहा है अनुमति दी जाए जबकि उसे आदेश 1 नियम 8 1, व 2 के उपबंधों के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिए था जो उसके द्वारा नहीं किया गया, किन ग्रामवासियान की तरफ से उसके द्वारा अपील की जा रही है यह उसके द्वारा नहीं बताया गया है, साथ ही उसने अपने प्रार्थना पत्र में यह अंकित किया है कि अपीलांट की खातेदारी खुर्द बुर्द की जा रही है, इस बाबत अपीलांट सक्षम न्यायालय में वादपत्र दायर कर सकता है अपीलांट द्वारा जमाबंदी 2072–2076 खाता संख्या नया 116 ग्राम खरवा प्रस्तुत की है, जिसमें अपीलांट का हिस्सा अन्य सहखातेदारों के साथ दर्ज होकर अपीलांट का हिस्सा 1/6 बताया गया प्रस्तुत की है। अपीलाधीन खसरा नम्बर 1396 अपीलांट के सहखातेदारी के 4350/1395 खसरा नम्बर से जुडा हुआ है जिसकी किस्म भी तालाबी–2 है। अपीलाधीन आदेश मात्र खसरा नम्बर 1396 बाबत दिया गया है। जो कि रेस्पोडेंट सख्या 1 की खातेदारी का है। उक्त आदेश से अपीलांट किसी भी प्रकार से प्रभावित होना नहीं पाया जाता है। तहसीलदार उक्त संपरिवर्तन आदेश के विरूद्ध चाहे तो अपील दायर कर सकता था या ग्रामवासियान के हित प्रभावित

उपखण्ड अधिकारी

होकर उनके हित समान होते तो उनकी सहमति लेकर ग्राम पंचायत द्वारा अपील प्रस्तुत की जा सकती थी ग्राम पंचायत खरवा वर्तमान में अस्तित्व में है, किन ग्रामवासियान की तरफ से वह अपील कर रहा है ऐसी कोई सूची अथवा प्रार्थना पत्र उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है जिस पर ग्रामवासियान के हस्ताक्षर हो। साथ ही उसके द्वारा आदेश 1 नियम 8–1,2 की पालना नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में न्यायालय का यह मानना है कि अपीलांट व्यथित पक्षकार की श्रेणी में नहीं होने से उसे अपील प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जासकती है। प्रकरण का मेरिट पर निस्तारण नहीं किया जाकर अपील को प्रार्थना पत्र धारा 96 के स्तर पर ही निस्तारित किया जा रहा है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैशलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

29/2024

जिला अपील प्राधिकारी
डूंगरपुर